प्र.सं. 155 / 2019 जीसीएमएस आईडी : 2019 / 00385

महावीर सिंह बनाम सरकार

अन्तर्गत 88 आरटीएक्ट 125–136 एलआरए

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
.03.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। वकील वादी ने फार्म नं. 3 मय दस्तावेज पेश किये। शामिल मिसल हो। वकील वादी के निवेदन करने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं कर सीधे बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी का सही नाम महावीर सिंह ही हैं, परन्तु कभी कभार घर पर स्नेहवश महावीर प्रसाद के नाम से भी वादी को पुकारा जाने के कारण रकबा वादी के नाम से नामान्तरित करवाते समय वादी का नाम महावीर सिंह के स्थान पर महावीर प्रसाद दर्ज करवा दिया गया हैं, वादी के अन्य राजस्व रिकार्ड में सही नाम महावीर सिंह ही अंकित हैं। अतः राजस्व रिकार्ड में महावीर प्रसाद के स्थान पर महावीर सिंह अंकित करने की दुरूस्ती के आदेश पारित करने की डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने चक 30 पीएस बी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 39 / 11 के मु.नं. 45 की कुल 2.214है. नहरी कृषि भूमि में वादी का नाम महावीर प्रसाद के स्थान पर सही नाम महावीर सिंह दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी सं. 1 को देने एवं इसी आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। सरपंच ग्राम पंचायत बिशनपुरा 30 पीएस ए प.सं. रायसिंहनगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 17.03.2021 के अनुसार महावीर सिंह पुत्र धोकलराम जाति बिश्नोई बिश्नपुरा का मूल निवासी हैं। जिनका दस्तावेज में वास्तविक नाम महावीर सिंह है, जबकि भूमि जमाबन्दी में नाम त्रुटीवश महावीर प्रसाद लिखा गया हैं। और इनका नाम महावीर सिंह करने की अनुशंसा की जाती हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 31 पीएस संवत 2075–2078 के खाता सं. 122 की भूमि, जमाबंदी संवत 2074–2077 चक बिशनपुरा बारानी के खाता सं. 34 की भूमि एवं जमाबंदी संवत 2066–2069 चक 28 पीएस के खाता सं. 46 की भूमि महावीर सिंह पुत्र धोकलराम के नाम दर्ज हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य पहचान के दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र आदि में नाम महावीर सिंह दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार कर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत 2076–2079 चक 30 पीएस बी के खाता सं. 39 में वादी के नाम दर्ज मु.नं. 45 प.नं. 249 / 294 की कुल 2.214है. नहरी भूमि में [illegible] नाम महावीर प्रसाद के स्थान पर महावीर सिंह दर्ज करने की दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को [illegible] शेष अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया [illegible]। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अर्पिता (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:50:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

.सं. 155/2019
जीसीएमएस : 2019/00385

1. महावीर सिंह पुत्र धुंकल राम जाति विश्नोई निवासी 30 पीएस ए(विशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधि. एवं 125–136 राज.भू.राजस्व अधि.

–: निर्णय :–

दिनांकः–30.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रीतम सिंह गिल धिवक्ता वादी, राजपैरोकार पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि:– वाद पत्र ादी स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत 2076–2079 चक 30 पीएस बी के खाता सं. 39 में वादी के ाम दर्ज मु.नं. 45 प.नं. 249/294 की कुल 2.214है. नहरी भूमि में वादी का नाम महावीर प्रसाद के थान पर महावीर सिंह दर्ज करने की दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। ोष अंकन बदस्तुर रहेगा।

डिक्री आज दिनांक 30.03.2021 को जारी की गई।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:00:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner